

समाहरणालय मधेपुरा।

जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 द्वारा माह-जनवरी,2016 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण करना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी० पी० एल०,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी०पी०एल०,अन्त्योदय एवं ए०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को कूपन के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

वर्तमान में थोक किरासन तेल विक्रेताओं के पास माह-दिसम्बर,2016 के लिए अतिरिक्त आवंटित 24000 लीटर सहित उपलब्ध मात्रा कुल 41167.500 लीटर के विरुद्ध माह-जनवरी,2016 के मासिक आवंटन में विभाग द्वारा कुल 65167.000 लीटर समायोजित कर दिये जाने के कारण किरासन तेल की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध उपलब्ध मात्रा कम रहने एवं सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप किरासन तेल के उठाव हेतु तत्काल सभी प्रखंड/नगर निकाय के ठेला भेण्डरों को आपूर्ति की जानेवाली मात्रा 750 लीटर के स्थान पर उपलब्ध मात्रा में से 600 लीटर उपावंटित किया जा सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष मात्रा उपावंटित किया जाएगा।

अतः सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 द्वारा माह जनवरी,2015 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह-दिसम्बर,15 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि० की सं०	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में) ज०वि०प्र०वि/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली०में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	48072	ज०वि०प्र०-132198.000 हॉकर (6X600) 3600.000 कुल-135798.000	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	127541.000 8256.000 कुल- 135798.000
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10885	ज०वि०प्र०- 24491.250 हॉकर (25X600) 15000.00 राशनी संस्था 1518.000 कुल- 41009.250	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 41009.250
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	33428	ज०वि०प्र०- 91927.000 हॉकर (6X600) 3600.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल-96377.000.	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 96377.000

04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28632	ज०वि०प्र०- 78735.500	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे० जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	64900.000 13835.500 कुल- 78735.500
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19973	ज०वि०प्र०- 54912.000	1.मे० शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 54912.000
06	धैलाढ़ प्रखण्ड	73129	22298	ज०वि०प्र०-61319.500 हॉकर (6X600) 3600.000 कुल- 64919.500	1.मे० चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 64919.500
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43555	ज०वि०प्र०-119776.250 सरकारी संस्था- 50.000 कुल-119826.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2 मे० जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड 3.मे० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	86026.250 31400.000 2400.000 कुल-119826.250
08	मुरलीगंज नगर पं०	222936	6673	ज०वि० प्र०-15014.250 हॉकर (20X600) 12000.000 कुल- 27014.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज	कुल-27014.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52282	ज०वि०प्र०-143775.500 हॉकर (1X600) 600.000 कुल-144325.500	1.मे० जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड।	कुल:-144375.500
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	38146	ज०वि०प्र०-104901.500 हॉकर (16X600) 9600.00 सरकारी संस्था- 150.000 कुल-114651.500	1.मे०चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-114651.500
11	ग्वालपाड़ा	95295	25704	ज०वि०प्र०- 67686.000 हॉकर (4X600) 2400.000 कुल-70086.000	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 70086.000
12	बिहारीगंज	101655	29795	ज०वि०प्र०- 81936.250 हॉकर (29X600) 17400.00 कुल- 99336.250	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल-99336.250
13	आलमनगर	129226	38483	ज०वि०प्र०-105828.250 हॉकर (7X600) 4200.000 कुल-110028.250	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल-110028.250
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज०वि०प्र०- 98101.750 हॉकर (2X600) 1200.000 कुल- 89301.750	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 89301.750
15	पुरैनी प्रखंड	77792	21091	ज०वि०प्र०- 58000.250 हॉकर (2X600) 1200.000 कुल-59200.250	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	38830.250 20370.000 कुल- 59200.250
कुल योग:-		1526646	451054	1305571.250		1305571.250

2. इस प्रकार प्रखंडवार/नगर निकाशवार जिले में वितरण हेतु माह जनवरी, 2015 के लिए विभाग से आवंटित मात्रा 106टैकर (106X12000)=1272000.000लीटर + समायोजित माह दिसम्बर, 2015 तक वितरण के पश्चात् थोक किरासन तेल विक्रेता

के भंडार में उपलब्ध अवशेष मात्रा 41167.000 लीटर को मिलाकर (1272000.00+41167.000)=1313167.000 लीटर किरासन तेल को प्रखंडवार/ अनुभाजन क्षेत्रवार उपवांटन किया गया है।

3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर धानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थोक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-

1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा -194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा-174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
4. आवा०अनु०जाति वि०भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।
5. व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा -900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
5. उप कारा उदाकिशुनगंज -150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 1518 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी० तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अल्लसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्ती धानों में रोशनी की व्यवस्था हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा, उप कारा, उदाकिशुनगंज को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-82/खाद्य दिनांक-07.01.2016 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संघारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वी० तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वी० तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुसार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात् प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफ्लोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हें ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाइल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल

